[2021] 10 एस. सी. आर. 825

भारत का संघ

बनाम

भारती एयरटेल लिमिटेड। & अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 6520)

28 अक्टूबर, 2021

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-एस. एस. 16 , 39 , 49 , 59 और 168-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 -

आयुक्त (जी. एस. टी.) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.12.2017 -

जी. एस. टी. आर.-1, जी. एस. टी. आर.-2, जी. एस. टी. आर.-2ए, जी. एस. टी. आर.-3 और जी. एस. टी. आर.-3बी प्रपत्रों के साथ लागू किए गए 2017 के अधिनियम और 2017 के नियमों की वैधता-विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गईं।

उल्लिखित नियमों के नियम 61 (5) द्वारा प्रदत्त, केंद्र सरकार ने अधिसूचना No.21/2017-केंद्रीय कर जारी की, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जुलाई और अगस्त 2017 के महीनों के लिए विवरणी प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी

जी. एस. टी. आर.-3बी, सारणी के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथियों से पहले आम पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से-इसके बाद फिर से विभिन्न अधिसूचनाएं/परिपत्र समय के विस्तार (अधिसूचना दिनांक 17.08.2017) के बारे में थे, जो जी. एस. टी. आर.-1, जी. एस. टी. आर.-2 और जी. एस. टी. आर.-3बी प्रपत्रों में दी गई जानकारी के प्रणाली-आधारित मिलान और जी. एस. टी. आर.-3बी प्रपत्र में दिए गए गलत विवरणों के सुधार के लिए तंत्र से संबंधित थे, जिसमें जी. एस. टी. आर.-3बी प्रपत्र में विवरणी दाखिल करने की समयसीमा निर्दिष्ट की गई थी।

01.09.2017) आदि जारी किए गए-आयुक्त (जी. एस. टी.) ने तब जी. एस. टी. के तहत विवरणी दाखिल करने के विषय पर दिनांक 29.12.2017 का परिपत्र जारी किया, जिसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विचार किए गए कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। क्षेत्र संरचनाओं में कार्यान्वयन-इस परिपत्र द्वारा, 01.09.2017 पर जारी किए गए पहले के परिपत्र को स्थगित कर दिया गया था-पैराग्राफ

4 सर्कुलर दिनांकित 29.12.2017 निर्दिष्ट करता है "। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्पादन कर देयता या निवेश कर क्रेडिट में समायोजन करते समय, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में कोई नकारात्मक प्रविष्टियां नहीं हो सकती हैं।

बाद के महीनों के फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में वापसी और ऐसे मामलों में जहां इस तरह का समायोजन संभव नहीं है, धनवापसी हो सकती है

दावा किया गया। "_ प्रत्यर्थी संख्या 1, हालांकि, परिपत्र दिनांक 01.09.2017 में निर्दिष्ट वितरण का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था।

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रासंगिक अवधि (जुलाई से सितंबर 2017)-सितंबर 2018 में फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2ए के चालू होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने महसूस किया कि संबंधित अवधि के दौरान आई. टी. सी. खाता बही (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही) में पर्याप्त राशि थी-इसके अलावा, जी. एस. टी. आर.-2ए की गैर-कार्यक्षमता के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 को अपने ओ. टी. एल. का भुगतान नकद में जमा/भुगतान करके करना पड़ा-प्रतिवादी संख्या 1 ने फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी को सुधारने का आग्रह किया-हालांकि, ऐसा करने में प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित परिपत्र आड़े आया-परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 ने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और दिनांकित परिपत्र के अनुच्छेद 4 को पढ़ा।

जिस अवधि में त्रुटि हुई थी, उसके संबंध में प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3बी का सुधार-उच्चतम न्यायालय के प्रतिवादी नं. 1 तर्क दिया कि 29.12.2017 दिनांकित परिपत्र कानून के किसी भी अधिकार के बिना जारी किया गया था-आयोजितः बोर्ड द्वारा प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया

विवरणी दाखिल करने की तारीखों, विलंब शुल्क की मात्रा के लागू होने, प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3बी जमा करने/दाखिल करने में त्रुटियों में संशोधन और अन्य संबंधित प्रश्नों जैसे विवरणी दाखिल करने के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण-सख्त अर्थों में, यह आयुक्त (जी. एस. टी.) द्वारा जारी किया गया निर्देश नहीं है, बल्कि यह बोर्ड द्वारा अपने द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए निर्णयों को अधिसूचित कर रहा है। 168 (1) 2017 अधिनियम का-परिपत्र आयुक्त (जी. एस. टी.) के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था, लेकिन संक्षेप में, यह बोर्ड के निर्णयों को अधिसूचित कर रहा था, जो

निर्देश जारी करने का अधिकार और शक्ति है-पैराग्राफ 4 सहित बताए गए परिपत्र में शर्तें 2017 अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं-एस के रूप में स्पष्ट प्रावधान। 39 (9) यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में विवरणी में दी गई चूक या गलत विवरण को ठीक किया जा सकता है।

उस महीने या तिमाही में प्रस्तुत की जाने वाली वापसी में जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण देखे जाते हैं-तदनुसार, यह तर्क कि विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 था

कानून के अधिकार के बिना जारी किया जाता है अस्वीकार कर दिया जाता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-ss. 16 , 39 , 49 और 59-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017-आरआर। 59 , 60

और 61-प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी का सुधार-रिट याचिकाकर्ता की शिकायत-प्रतिवादी सं. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि प्रासंगिक समय (जुलाई से सितंबर 2017) पर प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 ए के अप्रचलित होने के कारण, इसे भारत संघ बनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया था।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस।

इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता और इसके परिणामस्वरूप,

संबंधित अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी.) और इसके बजाय इसके लिए नकद भुगतान करके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी (ओ. टी. एल.) का निर्वहन करना।

इस प्रकार विक्रेताओं ने दोहरा कर और अनुचित भुगतान किया है

कर अधिकारियों को उनकी विफलता के कारण लाभ स्वतः आबादी को सक्षम करने वाले वैधानिक प्रपत्रों का संचालन करना।

मिलान की सुविधा और विसंगतियों को सुधारने सहित प्राप्तकर्ता और बाहरी आपूर्ति की आंतरिक आपूर्ति का विवरण

इलेक्ट्रॉनिक रूप से-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी

जिस अवधि से 'त्रुटि संबंधित है' यानी जुलाई से सितंबर 2017-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी को सुधारने की भी अनुमति दी।

उस अवधि के लिए जिसमें त्रुटि हुई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: रिट याचिकाकर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति होने के नाते, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत था।

के अनुसार लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखने का दायित्व

2017 अधिनियम और 2017 नियमों के अध्याय VII के प्रावधान उन लेनदेनों के संबंध में हैं जिनके संबंध में ओटीएल होगा। - अतीत में भी (हाल ही में 2017 अधिनियम लागू होने तक), पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था के दौरान, रिट याचिकाकर्ता (पंजीकृत किया जा रहा है)

व्यक्ति/निर्धारिती) इस तरह की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों का रखरखाव कर रहा था और अपने दम पर विवरणी जमा कर रहा था-ऐसा कोई स्वतः-आबाद नहीं था।

इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रचलन में था-यह वही पैटर्न है जिसे होना था

जी. एस. टी. व्यवस्था के बाद पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

-

इसके अलावा, 2017 अधिनियम की योजना के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति बाध्य है आई. टी. सी. का स्व-मूल्यांकन करना, आई. टी. सी. के लिए इसकी पात्रता की गणना करना और

ओ. टी. एल. में नकद या क्रेडिट खाते में रखी शेष राशि भी शामिल है।

मुख्य रूप से उनके कार्यालय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों के आधार पर जिन्हें सांविधिक रूप से संरक्षित किया जाना आवश्यक था-कि वे इसके बिना कर सकते थे

आम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जैसा कि अतीत में हाल तक किया जा रहा था

पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था-इसलिए, प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 ए की गैर-संचालन क्षमता का तथ्य रिट याचिकाकर्ता द्वारा ली गई एक तुच्छ याचिका है।

द

रिट

पूर्ण ज्ञान और जानकारी के साथ याचिकाकर्ता ने स्व-मूल्यांकन किया था और प्रासंगिक अवधि के लिए ओटीएल का मूल्यांकन किया था और चुना था

नकद भुगतान करके उसी का निर्वहन करना-ऐसा चुनने के बाद, अब यह

उत्तरदाता के लिए पहले से ही विकल्प से रिसाइल करने के लिए खुला नहीं था प्रयोग-जहाँ तक त्रुटियों के सुधार का संबंध है, मिलान

और सुधार प्रक्रिया तंत्र के अनुसार अपने आप होती है

एस. एस. में निर्दिष्ट। 37 और 38, जिसके बाद फॉर्म जी. एस. टी. आर-3 तैयार किया जाता है।

विवरणी जमा करने के लिए; और एक बार जमा करने के बाद कोई भी परिवर्तन हो सकता है

इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है-इसलिए, कानून केवल फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1 और [2021] 10 एस. सी. आर. के प्रारंभिक चरणों में त्रुटि और चूक को सुधारने की अनुमति देता है।

जी. एस. टी. आर.-3, लेकिन एक निर्दिष्ट तरीके से-सुधार की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को कायम नहीं रखा जा सकता है-विवादित

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

रिट याचिका पर विचार करें या यह कि रिट याचिका आवश्यक पक्षों के गैर-जॉइंडर के दोष से ग्रस्त है, जिसमें यह भी शामिल है कि उच्च न्यायालय अनिवार्य रिट जारी नहीं कर सकता था, हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। अपीलार्थी (रिट याचिका में प्रतिवादी) का कार्यालय भी दिल्ली में है। अन्य के अलावा रिट याचिका में दावा की गई राहत को चुनौती देना था केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान और दिल्ली में अपना कार्यालय रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए परिपत्र। इसलिए,

दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी संदेह का विषय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार, अपीलार्थी का तर्क यह बताता है कि

सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक पक्ष हैं, नहीं

इस मामले को आगे बढ़ाएँ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिट याचिकाकर्ता राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की व्यक्तिगत कार्रवाई को चुनौती नहीं दे रहा था, बल्कि केंद्रीय प्राधिकरण के एक नीतिगत निर्णय को चुनौती दे रहा था, जिसने विवादित परिपत्र, अर्थात् आयुक्त (जी. एस. टी.) जारी किया था। यदि रिट याचिकाकर्ता उस चुनौती में सफल हो जाता है, तो परिणामी राहत मिलेगी। इस न्यायालय की राय में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाएगा

विषय रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए कारण को आगे बढ़ाने के लिए रिट याचिकाकर्ता के रास्ते में आएं। यदि विवादित परिपत्र की प्रभावकारिता के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष को बरकरार रखा जाना था, तो जारी किए गए निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। तदनुसार, प्रारंभिक आपत्तियाँ

रिट याचिका की रखरखाव के संबंध में और

दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 30] [852-एच; 853-ए-ई]

2. एक अन्य मुद्दा जिसे सीमा पर तय करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 द्वारा जारी किया गया है।

आयुक्त (जी. एस. टी.) कानून के अधिकार के बिना है। निर्विवाद रूप से, यह परिपत्र भारत संघ द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अधिसूचित करने के लिए जारी किया गया है।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस।

बोर्ड द्वारा रिटर्न दाखिल करने की तारीखों, विलंब शुल्क की मात्रा की प्रयोज्यता, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी जमा करने/दाखिल करने में त्रुटियों में संशोधन और अन्य संबंधित प्रश्नों जैसे विवरणी दाखिल करने के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। सटीक अर्थों में, यह आयुक्त (जी. एस. टी.) द्वारा जारी किया गया निर्देश नहीं है, बल्कि यह अधिसूचित कर रहा है बोर्ड के निर्णय 2017 अधिनियम की धारा 168 (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए। यह एक अलग मामला है कि आयुक्त (जी. एस. टी.) के हस्ताक्षर के तहत एक परिपत्र जारी किया जाता है, लेकिन संक्षेप में, यह बोर्ड के निर्णयों को अधिसूचित कर रहा है, जिसके पास निर्देश जारी करने का अधिकार और शक्ति है। तदनुसार, यह तर्क कि विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 कानून के अधिकार के बिना जारी किया गया है, को खारिज करने की आवश्यकता है।

[पैरा 31] [853-ई-एच; 854-ए]

इलेक्ट्रॉनिक रूप से विसंगतियों को मिलान और सुधारने की सुविधा सहित प्राप्तकर्ता और बाहरी आपूर्ति की आंतरिक आपूर्ति के स्वतः जनसँख्या विवरण को सक्षम करने वाले वैधानिक प्रपत्रों को संचालित करना। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस मुख्य प्रश्न की जांच नहीं की कि क्या रिट याचिकाकर्ता को निर्वहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान्य मंच में स्वतः उत्पन्न जानकारी पर पूरी तरह से या पूरी तरह से निर्भर होना आवश्यक था। जुलाई और सितंबर 2017 के बीच प्रासंगिक अवधि के लिए ओटीएल का भुगतान करने का दायित्व। इसका जवाब एक जोरदार नहीं है। इसमें, रिट याचिकाकर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति होने के नाते, [2021] 10 एस. सी. आर. के अनुसार लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2017 अधिनियम और 2017 नियमों के अध्याय VII के प्रावधान उन लेनदेनों के संबंध में हैं जिनके संबंध में ओटीएल होगा। अतीत में भी (हाल ही में 2017 अधिनियम लागू होने तक), पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था के दौरान, रिट याचिकाकर्ता (पंजीकृत व्यक्ति/निर्धारिती होने के नाते) इस तरह की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों का रखरखाव कर रहा था और अपने दम पर विवरणी जमा कर रहा था। इस तरह का कोई

स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रचलन में नहीं था। यह वही पैटर्न है जिसका पालन पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी व्यवस्था के बाद करना पड़ता था। [पैरा 32] [854-बी-एफ]

4. 2017 के अधिनियम की योजना के अनुसार, यह देखा गया है कि पंजीकृत व्यक्ति आईटीसी का स्व-मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है।

आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. के लिए इसकी पात्रता जिसमें मुख्य रूप से उसके कार्यालय रिकॉर्ड और समय-समय पर सांविधिक रूप से संरक्षित और अद्यतन किए जाने के लिए आवश्यक खातों की पुस्तकों के आधार पर नकद या क्रेडिट खाते में रखी शेष राशि शामिल है। वह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के बिना भी कर सकते थे जैसा कि अतीत में हाल ही में पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था तक किया जा रहा था। जहां तक ओटीएल का भुगतान करने की देयता का संबंध है, वह संबंधित अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के आधार पर है जो कर योग्य घटना को जन्म देता है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य हो जाती है जिसके संबंध में पंजीकृत व्यक्ति है

समझौते, चालानों/चालानों और लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए बाध्य, जिन्हें हाथ से/इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जा सकता है। सामान्य पोर्टल केवल इस तरह के फीड या पुनर्प्राप्त करने के लिए एक सुविधा प्रदाता है।

जानकारी और आत्म मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक स्रोत होने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक स्रोत समझौतों, चालानों/चालानों, वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्तियों और लेखा पुस्तकों के रूप में होता है जिन्हें निर्धारिती द्वारा हाथ से/इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाता है। ये कर अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं हैं। संबंधित विधानों के तहत दायित्व का निर्वहन करते हुए पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था में भी यह व्यवस्था थी। स्व-मूल्यांकन करने और आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. की पात्रता से निपटने के मामले में, जी. एस. टी. के बाद की व्यवस्था में स्थिति अलग नहीं है। वास्तव में, वह स्व-मूल्यांकन और घोषणाएं किसी भी तरह से कर अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगी। कर अधिकारियों की भूमिका घोषणाओं और जमा किए गए विवरणों के सत्यापन के समय आएगी।

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया। [पैरा 33] [854-एफ-एच; 855-ए-सी] यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस।

5. 2017 अधिनियम की धारा 16 पंजीकृत व्यक्ति की उस योग्यता से संबंधित है जो उसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट कर का क्रेडिट लेने के लिए है जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने में किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में अतिरिक्त रूप से दर्ज किया जाता है। "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता" है धारा 2 (46) में परिभाषित किया गया है और 2017 अधिनियम की धारा 49 (2) में संदर्भित किया गया है, जो उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें आई. टी. सी.

फायदा हुआ। धारा 41 (1) में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति पात्र निवेश कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जैसे -

स्व-निर्धारित, उसकी वापसी में और ऐसी राशि अस्थायी आधार पर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा की जाएगी। [पैरा 34] [855-डी-ई]

6. धारा 59 धारा 39 का संदर्भ देती है, जो विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित है, लेकिन तथ्य यह है कि

विवरणी प्रस्तुत करना, प्रारंभिक कार्य स्वयं निर्धारिती द्वारा किया जाना है और उस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से या पूरी तरह से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर निर्भर नहीं है। जुलाई और सितंबर 2017 के बीच प्रासंगिक अवधि से कुछ हफ्ते पहले, रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 वह अभ्यास कर रहा था जिसके बाद भी-जी. एस. टी. योजना के तहत जारी रहने की उम्मीद थी। इसलिए, प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 ए की अप्रचलितता का तथ्य रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ली गई तुच्छ याचिका है। वास्तव में, यदि कहा गया प्रपत्र चालू था, तो यह रिट याचिकाकर्ता के लिए आई. टी. सी. की पात्रता के बारे में स्व-मूल्यांकन करने और उसका लाभ उठाने के लिए उपयोगी होता। लेकिन यह रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया एक कमजोर बहाना है, जिसमें हस्तचालित रूप से प्रस्तुत किए गए विवरणी के सुधार के संबंध में दिनांकित आक्षेपित परिपत्र 29.12.2017 में निर्दिष्ट शर्त पर हमला करने के लिए कहा गया है।

संबंधित अवधि (जुलाई से सितंबर 2017) के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी। [पैरा 36] [856-ए-डी]

7. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 4 को पढ़ने का सवाल तभी पैदा होता जब यह 2017 के अधिनियम और बनाए गए नियमों के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत होता। इसके नीचे। धारा 39 (9) के रूप में स्पष्ट प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में विवरणी में दी गई चूक या गलत विवरणों को उस महीने या तिमाही में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणी में ठीक किया जा सकता है जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण देखे जाते हैं। यही स्थिति [2021] 10 एस. सी. आर. रही है।

आक्षेपित परिपत्र में पुनर्स्थापित। इसलिए यह इसके विपरीत नहीं है।

अधिनियम की धारा 39 (9) में निर्दिष्ट वैधानिक व्यवस्था के लिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो उस अवधि में वापसी के इस तरह के सुधार को प्रतिबंधित करता है जिसमें त्रुटि देखी जाती है। [पैरा 37] [856-डी-एफ]

8. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत की पूरी इमारत

(प्रत्यर्थी संख्या 1) की स्थापना प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रपत्र जी. एस. टी. आर. 2ए की गैर-संचालनशीलता पर की गई थी, जिसे याचिका को असमर्थनीय और कमजोर के रूप में खारिज कर दिया गया था, यह इस बात का पालन करना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने लेखा पुस्तकों और अभिलेखों से प्राप्त पूर्ण ज्ञान और जानकारी के साथ, स्व-मूल्यांकन किया था और प्रासंगिक अवधि के लिए ओ. टी. एल. का मूल्यांकन किया था और चुना था -

नकद भुगतान करके उसी का निर्वहन करें। ऐसा चुनने के बाद, यह प्रतिवादी के लिए पहले से प्रयोग किए गए कानूनी विकल्प से अब वापस लेने के लिए खुला नहीं है। यही कारण है कि प्रत्यर्थी ने सलाह दी है कि धारा 37 और 38 के अनुसार उपलब्ध कराए गए (इलेक्ट्रॉनिक-ऑटो पॉपुलेटेड रिकॉर्ड) तंत्र के अभाव में, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में दाखिल विवरणी 2017 अधिनियम की धारा 39 (9) के लिए 2017 नियमों के नियम 61 (5) के साथ पठनीय नहीं है। यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ली गई एक और असमर्थनीय याचिका है। क्योंकि, अपीलार्थी को यह महसूस होने के बाद कि 2017 अधिनियम की धारा 37 और 38 में निर्दिष्ट तंत्र को इस तरह के तंत्र को नियंत्रित करने वाले प्रपत्रों की गैर-संचालनशीलता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है, नियमों में संशोधन करना पड़ा ताकि पूरी प्रक्रिया तक एक विराम-अंतराल व्यवस्था की जा सके।

तंत्र चालू हो गया। अपीलार्थी ने न केवल वैधानिक नियम में संशोधन किया, बल्कि जुलाई 2017 से सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में हाथ से विवरणी दाखिल करने का भी प्रावधान किया। यह समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों/अधिसूचनाओं से प्रकट होता है, जिसमें विवरणी जमा करने की समय-सीमा भी शामिल है। [पैरा 38] [857-सी-एफ]

9. महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकृत व्यक्ति को चूक या गलत विवरणों को सुधारने के अवसर से वंचित नहीं किया जाता है, जिसे वह

उस महीने या तिमाही के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वापसी में ऐसा कर सकता है जिसमें ऐसी चूक या गलत विवरण पाए जाते हैं। इस प्रकार, यह आई. टी. सी. का लाभ लेने से इनकार करने का मामला नहीं है। यदि बिल्कुल भी हो, तो यह केवल आई. टी. सी. के लाभ का स्थगन है। आईटीसी राशि

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में अक्षुण्ण रहता है, जिसका लाभ अगले वित्तीय वर्ष सहित बाद के रिटर्न में लिया जा सकता है।

यह भारत का एक संघ बनाम है। भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस।

अलग बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में धन की उपलब्धता के बावजूद, पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने का विकल्प चुनता है नकद भुगतान करके ओटीएल। यह पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प का विषय है जिस पर कर अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं है।

जो भी हो, और न ही इस संबंध में उनकी कोई भूमिका है। इसके अलावा, प्रविष्टियों की अदला-बदली की अनुमति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही बनाम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही या इसके विपरीत। [पैरा 47] [861-ई-जी]

लेन-देन। पूर्ण अनिश्चितता होगी और दाखिल किए गए स्व-मूल्यांकन विवरण के साथ कभी भी कोई अंतिमता नहीं जोड़ी जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक रूप से। हम अपीलार्थी के इस कथन से सहमत हैं कि वैधानिक अधिदेश के विपरीत दिखाई गई कोई भी संलिप्तता न केवल एक अवैधता होगी, बल्कि वास्तव में, केवल अराजक स्थिति और केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर प्रशासन के पतन का कारण बनेगी। नतीजतन, निर्धारिती को एकतरफा रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विवरणों में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में, जो अनिवार्य रूप से अन्य हितधारकों के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कैस्केडिंग प्रभाव पड़ता है। [पैरा 48] [861-जी-एच; 862-ए-सी]

11. मिलान और सुधार प्रक्रिया धारा 37 और 38 में निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार अपने आप होती है।

कौन सा फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 विवरणी जमा करने के उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है और एक बार इसे जमा करने के बाद, उसमें किसी भी परिवर्तन का व्यापक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, कानून केवल प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-1 और जी. एस. टी. आर.-3 के प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों और चूक को सुधारने की अनुमति देता है, लेकिन निर्दिष्ट तरीके से। यह एक अलग बात है

पूर्व-जी. एस. टी. अवधि की तुलना में प्रदान की गई व्यवस्था, जो स्वतः दर्ज अभिलेखों और प्रविष्टियों का प्रावधान नहीं है। [पैरा 49] [862-डी-ई] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि विवादित लोगों के लिए चुनौती

परिपत्र संख्या 26/26/2017-जी. एस. टी. दिनांक 29.12.2017, अब तक उल्लिखित कारणों के लिए अस्थिर है। इस न्यायालय का मानना है कि उल्लिखित परिपत्र में पैराग्राफ 4 सहित शर्तें हैं - 2017 के अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप। यह कहने के बाद, इसका पालन करना चाहिए कि विवादित परिपत्र के पैराग्राफ 4 को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से किया है। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश अनिवार्य रिट जारी करने की प्रकृति का है ताकि रिट याचिकाकर्ता को जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में सुधार करने की अनुमति दी जा सके।

कायम रहा। [पैरा 50] [862-ई-जी]

एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक। कमिश्नर

(आकलन), बिक्री कर और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 702:

[2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 417 संदर्भित है।

एएपी एंड कंपनी, अधिकृत के माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट भागीदार बनाम भारत संघ और अन्य। 2019 - टीआईओएल-1422

एच. सी.-ए. एच. एम.-जी. एस. टी.; पांडुरंग स्टोन क्रशर्स बनाम यूनियन

भारत और ओआरएस। 2019 - टीआईओएल-1975-एचसी-एपी-जीएसटी; साजी एस. प्रोपराइटर, आदित्य और अंबाडी ट्रेडर्स एंड अन्र। बनाम।

टी. आई. ओ. एल.-2519-एच. सी.-पी. एंड एच.-जी. एस. टी.; सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज बनाम. नोडल अधिकारी 2019-टीआईओएल-2068-एचसी-एएचएम-जीएसटी;

कृष ऑथोमोटर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य।

2019 - टीआईओएल-2153-एचसी-डेल-जीएसटी; ब्लू बर्ड प्योर प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल

9250 ; लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 13.9.2019 पर निर्णय लिया गया डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 3309/2019 संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 417 को संदर्भित किया गया

पैरा 44 भारत संघ v. भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.6520

हरीश एन. साल्वे, तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनुराधा दत्त, तुषार जारवाल, राहुल सतीजा, दीपक ठाकुर, अनुराग सोन, स्पर्श भार्गव, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील डब्ल्यू. पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 05.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से निकलती है। (ग) 2018 का No.6345, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी और आयुक्त (जी. एस. टी.), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, जी. एस. टी. नीति खंड 2 द्वारा जारी परिपत्र संख्या 26/26/2017 जी. एस. टी. दिनांक <आई. डी. 2 के पैराग्राफ 4 को इस हद तक पढ़ा कि उसने उस अवधि के संबंध में फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी. के सुधार को प्रतिबंधित कर दिया जिसमें त्रुटि हुई थी। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी को सुधारने की भी अनुमति दी जिसमें त्रुटि हुई थी, यानी जुलाई से सितंबर 2017 तक। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि

अपीलार्थी कि संशोधित प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी दाखिल करने पर, वे दो सप्ताह की अवधि के भीतर, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्धारित दावे का सत्यापन करेंगे और सत्यापित होने के बाद उसे प्रभावी करेंगे।

2. यह केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 3 को लागू करने के बाद है, जो 01.07.2017 से लागू हुआ था।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 20174 की अधिसूचना संख्या 01.07.2017, नियम 59,60 और 61 को फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1, जी. एस. टी. आर.-2, जी. एस. टी. आर.-2ए, जी. एस. टी. आर.-3 और जी. एस. टी. आर.-3बी के साथ लागू किया गया था। 1 संक्षेप में, "आक्षेपित परिपत्र" 2 संक्षेप में, "आयुक्त (जी. एस. टी.)" 3 संक्षेप में, "2017 अधिनियम"

4 संक्षेप में, "2017 नियम" [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. इस मुद्दे के संदर्भ में, यह लेना उचित हो सकता है

नियम 61 (5) के शब्दों में बदलाव करके नियम 61 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर दिनांक 27.07.2017 का नोट और

नियम 61 (6) लागू करना। नियम 61 (5), जैसा कि यह पहले था जब यह लागू हुआ था, इस प्रकार पढ़ा गया:

" (5) जहाँ फॉर्म जी. एस. टी. आर. में विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा है।

1 धारा 37 के तहत और धारा 38 के तहत जी. एस. टी. आर.-2 के रूप में

विस्तारित किया गया है और परिस्थितियाँ इस प्रकार वारंट करती हैं, फॉर्म में लौटें

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 के स्थान पर जी. एस. टी. आर.-3 बी, इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

तरीका और ऐसी शर्तों के अधीन जो द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है आयुक्त "

4. इस प्रावधान को न केवल प्रतिस्थापित किया गया था, बल्कि उप-नियम (6) था

अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर के माध्यम से उक्त संशोधन द्वारा नियम 61 में भी जोड़ा गया। संशोधित प्रावधान इस प्रकार है:

" भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

जीएसआर () ई. : - धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12),

केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन करना।

अर्थात्: (1) ... .

2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 में,

(v) नियम 61 में, 1 जुलाई, 2017 से उप-नियम (5) के लिए, निम्नलिखित उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" (5) जहां धारा 37 के तहत फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1 और धारा 38 के तहत फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2 में विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है और इस तरह की परिस्थितियां आवश्यक हैं,

आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकते हैं कि वापसी भारत संघ v होगी।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया गया

सामान्य पोर्टल, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से।

(6) जहां फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि के बाद फॉर्म जी. एस. टी. आर. 2 में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(ख) पंजीकृत व्यक्ति फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में विवरणी और फॉर्म जी. एस. टी. आर. 3 में विवरणी के बीच विसंगतियों, यदि कोई हों, के आधार पर फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 में विवरणी के भाग बी को संशोधित करेगा और अपने कर और अन्य देनदारियों, यदि कोई हों, का निर्वहन करेगा। (ग)
जहां फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से अधिक है, वहां अतिरिक्त राशि पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा की जाएगी। ;

5. इसके बाद अधिसूचना No.18/2017-केंद्रीय कर दिनांक 08.08.2017 जारी की गई, जिसके तहत जुलाई के महीनों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने का समय दिया गया।

और अगस्त 2017 को क्रमशः 05.09.2017 और 20.09.2017 तक बढ़ा दिया गया था। उसी दिन, उल्लिखित नियमों के नियम 61 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना No.21/2017-केंद्रीय कर जारी की, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि निम्नलिखित महीनों के लिए विवरणी जुलाई और अगस्त 2017 में निर्धारित तिथियों से पहले सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी प्रस्तुत किया जाएगा।

उसमें दी गई तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि। जुलाई 2017 के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी दाखिल करने की तारीख को 20.08.2017 के रूप में अधिसूचित किया गया था और अगस्त 2017 के लिए इसे 20.09.2017 के रूप में अधिसूचित किया गया था।

6. भारत सरकार के अवर सचिव ने व्यक्तियों के लिए जुलाई 2017 के महीने के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी दाखिल करने का समय बढ़ाने के लिए एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें No.23/2017-केंद्रीय कर दिनांक 17.08.2017 लिखा था।

फॉर्म जी. एस. टी. टी. आर. ए. एन.-1 20.08.2017 पर या उससे पहले 28.08.2017, [2021] 10 एस. सी. आर. तक दाखिल करने का विकल्प चुनना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के तहत देय कर जमा करने और ब्याज का भुगतान, यदि कोई हो, जैसी कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन। उत्तरदाता संख्या 1 ने जुलाई 2017 के महीने के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में 31.08.2017 पर अपना विवरणी दाखिल किया।

7. आयुक्त (जी. एस. टी.) ने प्रणाली आधारित सुलह के लिए एक और परिपत्र सं. 7/7/2017 जी. एस. टी. दिनांक 01.09.2017relating जारी किया।

प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-1, जी. एस. टी. आर.-2 और जी. एस. टी. आर.-3 बी में दी गई जानकारी और प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी में दिए गए गलत विवरणों में सुधार के लिए तंत्र।

8. व्यापारिक समुदाय से प्राप्त अभ्यावेदनों पर, भारत सरकार के अवर सचिव ने अधिसूचना जारी की

2017 के नियमों के नियम 61 (5) के साथ पठित 2017 अधिनियम की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अन्य सक्षम प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में दी गई तालिका के अनुसार संबंधित महीने के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीखों को निर्दिष्ट करते हुए, उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट अंतिम तिथि को या उससे पहले सामान्य पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय कर दिनांक आई. डी. 2। संबंधित अंग्रेजी कैलेंडर महीने की अंतिम तिथि को अगले अंग्रेजी कैलेंडर महीने के 20 वें दिन के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। अगस्त और दिसंबर 2017 के बीच की अवधि। उत्तरदाता संख्या 1 ने अगस्त 2017 के महीने के लिए और सितंबर 2017 के महीने के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में 20.09.2017 पर अपना विवरणी दाखिल किया।

9. सरकार के अवर सचिव ने एक बार फिर अधिसूचना No.56/2017-केंद्रीय कर दिनांक 15.11.2017 जारी की, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि

जनवरी, फरवरी और मार्च 2018 के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा क्रमशः 20 फरवरी, 20 मार्च और 20 अप्रैल, 2018 है।

10. आयुक्त (जी. एस. टी.) ने कुछ मुद्दों को स्पष्ट करते हुए जी. एस. टी. के तहत विवरणी दाखिल करने के विषय पर विवादित परिपत्र जारी किया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा क्षेत्र संरचनाओं में कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए विचार किया गया। इस परिपत्र द्वारा, 01.09.2017 पर जारी पहले के परिपत्र को तब तक

स्थगित रखा गया था जब तक कि उस परिपत्र के तहत निर्धारित प्रणाली-आधारित सुलह को प्रासंगिक अधिसूचना जारी करने के परिणामस्वरूप चालू नहीं किया जाना था। त्रुटियों के संशोधन/सुधार/सुधार से संबंधित इस परिपत्र के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद 3.1 और 3.2 निम्नानुसार प्रदान किए गए हैं; 5 संक्षेप में, "परिषद"

' संक्षेप में, "द बोर्ड" यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 3. त्रुटियों का संशोधन/सुधार/सुधारः

3.1 विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पंजीकरण किया गया है।

व्यक्तियों ने प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी दाखिल करते समय की गई त्रुटियों का सुधार।

इस संबंध में 1 सितंबर को परिपत्र संख्या 7/7/2017-जी. एस. टी.

2017 जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि दाखिल करते समय त्रुटियां हुईं

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी को फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1 दाखिल करते समय ठीक किया जा सकता है।

और उसी महीने का फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2। इसके अलावा, उक्त परिपत्र में,

यह स्पष्ट किया गया था कि प्रणाली स्वचालित रूप से सामंजस्य स्थापित करेगी

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1 के साथ फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में प्रस्तुत डेटा और

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2, और यदि कोई भिन्नता है तो उसकी भरपाई की जाएगी।

उत्पादन कर देयता के विरुद्ध या उत्पादन कर देयता में जोड़ा गया

पंजीकृत व्यक्ति के बाद के महीने। 3.2 चूंकि, जी. एस. टी. परिषद ने निर्णय लिया है कि

इस महीने के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2 और फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 दाखिल करना जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक एक समिति द्वारा काम किया जाएगा

अधिकारी, परिपत्र के तहत निर्धारित प्रणाली आधारित सुलह

संख्या 7/7/2017-जीएसटी दिनांक 1 सितंबर 2017 केवल हो सकता है

प्रासंगिक अधिसूचना जारी होने के बाद चालू किया जाता है। ने कहा कि

इसलिए परिपत्र को उस समय तक स्थगित रखा जाता है।

(जोर दिया गया)

11. उसी परिपत्र के पैराग्राफ 4 में विज्ञापन देना उपयोगी हो सकता है,

एच इस प्रकार पढ़ता है:

" 4. यह स्पष्ट किया जाता है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में विवरणी शामिल नहीं है।

पिछले महीने के अंतर आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए प्रावधान, उक्त आंकड़ों को मूल्यों के साथ शुद्ध आधार पर सूचित किया जा सकता है।

चालू महीने के लिए उपयुक्त तालिकाओं में अर्थात तालिका संख्या 3.1

3.2 , 4 और 5, जैसा भी मामला हो। यह उल्लेखनीय है कि जबकि

उत्पादन कर देयता या निवेश कर क्रेडिट में समायोजन करना, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी. में कोई नकारात्मक प्रविष्टियाँ नहीं हो सकती हैं। द.

समायोजन के लिए शेष राशि, यदि कोई हो, समायोजित की जा सकती है।

बाद के महीनों के फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी. में विवरणी

और, ऐसे मामलों में जहां इस तरह का समायोजन संभव नहीं है, धनवापसी दावा किया जा सकता है। जहाँ फॉर्म में समायोजन किए गए हैं

हॉर्ट, "ओटीएल"

हॉर्ट, "आईटीसी" [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. एस. टी. आर.-कई महीनों का 3 बी, फॉर्म में संबंधित समायोजन

जी. एस. टी. आर.-1 भी अधिमानतः इसी में बनाया जाना चाहिए। महीनों "।

(जोर दिया गया)

12. तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 इसका लाभ उठाने के लिए उत्सुक था

संबंधित के लिए दिनांकित 01.09.2017 परिपत्र में निर्दिष्ट वितरण

दिल्ली सहित पूरे भारत में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से। 2017 के अधिनियम के तहत सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के साथ-साथ सेवाओं के प्राप्तकर्ता होने के नाते, इसे प्रत्येक कर अवधि के लिए बाहरी और आंतरिक आपूर्ति और जी. एस. टी. अधिनियम के तहत मासिक रिटर्न का विवरण दाखिल करना आवश्यक था। ओटीएल और आईटीसी के दावे की गणना करने के लिए, जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान, डेटा की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए कोई औपचारिक या आधिकारिक तंत्र नहीं था ताकि इसके द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए लेनदेन के खिलाफ प्रासंगिक अवधि के लिए आईटीसी का दावा किया जा सके। जबकि, 2017 अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जाने वाले सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल द्वारा एक अंतर्निहित तंत्र की गारंटी दी गई थी। हालांकि, प्रारंभिक अवधि के दौरान, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की शुरुआत के बाद, इसमें कई कमियां थीं और 2017 की धारा 37 और 38 के अनुसार, स्वचालित आबादी वाले डेटा की निर्दिष्ट व्यवस्था का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। एक्ट करें।

13. जुलाई से सितंबर के प्रासंगिक महीनों के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1

2017 अधिसूचना No.72/2017-केंद्रीय कर दिनांक 29.12.2017 के माध्यम से 10.01.2018 से पहले दाखिल करना आवश्यक था। उल्लेखनीय है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2 ए सितंबर 2018 में ही चालू हुआ था। इस कारण से, एक विराम अंतराल व्यवस्था के रूप में, पंजीकृत व्यक्तियों को विवरणी जमा करने की आवश्यकता थी

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी. में। सितंबर 2018 में फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2 ए के चालू होने के बाद ही यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने महसूस किया कि संबंधित अवधि के दौरान आई. टी. सी. खाता बही खाते (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही) में उसके पास पर्याप्त राशि थी। इसके अलावा, जी. एस. टी. आर. 2 ए की गैर-कार्यक्षमता के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 को नकद में जमा/भुगतान करके अपने ओ. टी. एल. का निर्वहन करना पड़ा। यदि प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 ए कार्यात्मक होता, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को नकद राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संबंधित ओ. टी. एल. के भुगतान के लिए आई. टी. सी. खाते (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता) का उपयोग किया जा सकता था। इस कारण से, प्रत्यर्थी संख्या 1 आग्रह करेगा कि यदि उसे फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में सुधार करने की अनुमति दी गई थी, ताकि सर्कुलर दिनांक 01.09.2017 के संदर्भ में प्रासंगिक अवधि के लिए आई. टी. सी. का लाभ उठाया जा सके, तो भारत का संघ v.

इसके द्वारा ओ. टी. एल. की ओर नकद में उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाते में जमा किया जाएगा। हालाँकि, विवादित परिपत्र दिनांकित 29.12.2017 आता है।

ऐसा करने में प्रत्यर्थी संख्या 1 के रास्ते में। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

भारत का संविधान, 31.05.2018 पर दायर किया गया है, जिसमें निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई है:

" प्रार्थना करें

" ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में ऊपर लिए गए आधारों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता सबसे विनम्रता से

प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय इस पर प्रसन्न हो:

(क) प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना

यह घोषणा कि नियम 61 (5), फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी और परिपत्र (आई. डी. 1)/2017 दिनांकित (आई. डी. 2) सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार से बाहर हैं, इस हद तक कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 265 और 300 ए का उल्लंघन करते हुए उस कर अवधि के विवरणी में जानकारी के संशोधन के लिए प्रावधान नहीं करते हैं जिससे ऐसी जानकारी संबंधित है और मनमाना है।

(ख)

एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो घोषित करता है

अधिसूचना No.23/2017-केंद्रीय कर दिनांक 17.08.2017,35/2017-केंद्रीय कर दिनांक 15.09.2017 और 56/2017-केंद्रीय कर दिनांक 15.11.2017, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 39 (7) के प्रावधानों के बराबर है, जिस हद तक यह फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी दाखिल करने के लिए उल्लिखित तिथि तक सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर के भुगतान का प्रावधान करता है;
प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

((ग)

सर्टिओरारी या इसी तरह की प्रकृति का कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, परिपत्र No.26/2017 दिनांक 29.12.2017 के संबंध में अभिलेखों की जांच करने और उन्हें इस हद तक रद्द करने के लिए कि यह सूचना में संशोधन के लिए प्रदान नहीं करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (छ), 265 और 300 क के उल्लंघन में उस कर अवधि की वापसी जिसमें ऐसी जानकारी मनमाना होने के रूप में संबंधित है।

((घ)

घोषणा करते हुए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी. के तहत दायर याचिकाकर्ता की कर देयता अस्थायी है और याचिकाकर्ता की उत्पादन कर देयता है।

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1,2 और दाखिल करने के बाद ही क्रिस्टलाइज़ होगा।

3 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई)

प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए परमादेश या कोई अन्य रिट

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2 की सुविधा को चालू/शुरू करना और

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 01.07.2017 से शुरू होने वाली अवधि के लिए;

प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

(च)

प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए परमादेश या कोई अन्य रिट

याचिकाकर्ता को संशोधन की सुविधा प्रदान करना और

जी. एस. टी. आर.-3 बी प्रपत्र में संशोधन और ऐसा अनुदान

परिणामी राहत जो आवश्यक हो; कोई भी आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित समझे

(जी)

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए;

14. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2,

जी. एस. टी. आर.-2 ए और जी. एस. टी. आर.-3 सितंबर 2018 से चालू हो गए। केंद्र सरकार ने तब अधिसूचना No.49/2019 केंद्रीय कर दिनांक 09.10.2019 जारी की, जिससे नियम 61 (6) W. E. F. 01.07.2017 को हटा दिया गया और उसी तारीख से नियम 61 (5) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया गया:

" भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 49/2019-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

जीएसआर (ई)। - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

164 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12),

केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन करना, अर्थात्:

(क) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी अर्थात्:

" (5) जहाँ फॉर्म जी. एस. टी. आर. में विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा है।

1 धारा 37 के तहत या धारा 38 के तहत फॉर्म जी. एस. टी. आर.-2 में

भारत संघ की धारा v की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी को बढ़ा दिया गया है।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

39 इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसे

आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से: बशर्ते कि जहां फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में रिटर्न है

उप में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है नियम (1) तब ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 में वापसी;

99

(जोर दिया गया)

हमने इस अधिसूचना की वैधता को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार किया है।

इसे चुनौती नहीं दी गई है, हालांकि यह 01.07.2017 से प्रभावी हुआ है और जुलाई और सितंबर 2017 के बीच की अवधि को नियंत्रित करता है, जो इस कार्यवाही का विषय है।

15. विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने विवादित परिपत्र को दरकिनार नहीं किया

दिनांक 29.12.2017, लेकिन इसके केवल पैराग्राफ 4 को इस हद तक पढ़ना पसंद किया कि यह उस अवधि के संबंध में फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी के सुधार को प्रतिबंधित करता है जिसमें त्रुटि हुई थी। क्योंकि, उच्च न्यायालय का विचार था कि कथित प्रतिबंध के प्रावधानों के विपरीत था

2017 अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम।

16. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बार-बार किए जाने पर ध्यान दिया

पूर्ववर्ती शासन से जी. एस. टी. व्यवस्था में परिवर्तन के चरण के दौरान विभाग द्वारा शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान्य पोर्टल में तकनीकी खामियां थीं। उच्च न्यायालय ने तब नोट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने

जुलाई से सितंबर 2017 की प्रासंगिक अवधि के लिए अनुमानों के आधार पर अपना मासिक फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी प्रस्तुत किया। इसके अलावा, संबंधित अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में सटीक आई. टी. सी. का पता प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक महीने बाद अक्टूबर 2018 में पता चल सकता है, जब जी. एस. टी. आर.-2 ए चालू हुआ था। इसके बाद ही, प्रतिवादी संख्या 1 ने महसूस किया कि ओटीएल के निर्वहन के लिए नकद में Rs.923 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या 1 के नियंत्रण से परे कारणों से एक वास्तविक त्रुटि हुई थी, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 प्रासंगिक अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में गलती को ठीक करने में असमर्थ था। उच्च न्यायालय ने माना कि सी. जी. एस. टी. ने एक स्व-पुलिस प्रणाली पर विचार किया है। फलस्वरूप,

वैधानिक प्रावधानों ने हितधारकों के स्वतः जनसँख्या वाले डेटा के उत्पादन के लिए प्रावधान किया था। यह एक अधिकार था और केवल पंजीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सुविधा नहीं थी। इस प्रकार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के पास एक [2021] 10 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गलत डेटा अपलोड करने के लिए किसी भी प्रतिकूल परिणाम के साथ उसी महीने में रिटर्न को सही करने का अधिकार जिससे वे संबंधित हैं और दौरा नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने विभाग की इस स्वीकारोक्ति पर ध्यान दिया कि प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 और जी. एस. टी. आर.-3 का संचालन तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित नहीं हो सका, जिसके कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरे शब्दों में, विभाग स्वयं इस तरह की विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के इस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि उसे प्रासंगिक अवधि के लिए ओ. टी. एल. का भुगतान नकद में करना था, भले ही उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में अपने क्रेडिट के लिए आई. टी. सी. उपलब्ध था, क्योंकि विभाग ने वैधानिक रूप से निर्धारित प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2, जी. एस. टी. आर.-2ए और जी. एस. टी. आर.-3 का संचालन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिरिक्त नकद भुगतान किया गया था। उच्च न्यायालय ने धनवापसी के प्रावधानों पर भी ध्यान देते हुए कहा कि भले ही भविष्य में संचित आईटीसी को समायोजित करने की संभावना हो, लेकिन यह प्रतिवादी को वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है नंबर 1 आई. टी. सी. का पूरा उपयोग करने का विकल्प, जिसका वह सांविधिक रूप से हकदार था। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुधार के तंत्र को बाद के महीनों के रिटर्न तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है। इसने यह भी माना कि विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 का पैराग्राफ 4 2017 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

17. तदनुसार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी और प्रतिवादी संख्या 1 को इस अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी को सुधारने की अनुमति दी। जो 'त्रुटि' से संबंधित है यानी जुलाई से सितंबर 2017 के महीने। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए परिचालन निर्देश इस प्रकार हैं:

" 24. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, उसी महीने के लिए रिटर्न का सुधार, जिससे यह संबंधित है, अनिवार्य है और तदनुसार, हम विवादित परिपत्र संख्या 26/26/2017-जी. एस. टी. दिनांक 29.12.2017 के पैरा 4 को इस हद तक पढ़ते हैं कि यह निम्नलिखित अवधि के संबंध में प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3बी. के सुधार को प्रतिबंधित करता है।

जिसमें त्रुटि हुई है। तदनुसार, हम वर्तमान की अनुमति देते हैं

याचिका दायर करें और याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी को सुधारने की अनुमति दें, जिससे त्रुटि संबंधित है, यानी जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 तक की प्रासंगिक अवधि। हम प्रत्यर्थियों को यह भी निर्देश देते हैं कि संशोधित प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-

3बी दाखिल करने पर, वे दो सप्ताह की अवधि के भीतर, उसमें किए गए दावे का सत्यापन करेंगे और सत्यापित होने के बाद उसे प्रभावी करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत का अंतिम राहत संघ v.

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और याचिका की अनुमति दी गई है, अंतरिम राहत की मांग करने वाले आवेदन में कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, उक्त आवेदन का निपटान किया जाता है।

18. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण की आलोचना की है। शुरुआत में, यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय के पास प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह आपत्ति इस तर्क पर आधारित है कि 2017 के अधिनियम के तहत जी. एस. टी. लगाने और एकत्र करने की शक्ति का स्रोत राज्य और केंद्र दोनों में निहित है। दिल्ली उच्च न्यायालय इन मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकता था अन्य राज्यों के संबंध में और वह भी उन्हें पक्षकार प्रतिवादी बनाए बिना। रिट याचिकाकर्ता ने केवल परिषद को शामिल करने का विकल्प चुना है जो केवल नीति के बारे में निर्णय लेने के लिए बनाई गई एक संस्था है और इस तरह से एक कर संग्राहक नहीं है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसके अलावा रिट याचिका को आवश्यक पक्षों के गैर-सहयोगी के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा।

19. जहाँ तक गुण-दोषों का संबंध है, अपीलार्थी ने संवैधानिक पृष्ठभूमि और केंद्र के पूर्ववर्ती शासनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

उत्पाद शुल्क कानून, सेवा कर कानून आदि, और इसके विपरीत, जी. एस. टी. व्यवस्था में प्रदान की गई व्यवस्था और प्रत्येक बाहरी आपूर्तिकर्ता का ओटीएल का भुगतान करने का दायित्व। यह आग्रह किया जाता है कि जी. एस. टी. सहकारी संघवाद के एक नए युग की शुरुआत है और संविधान के अनुच्छेद 279ए के साथ पठित अनुच्छेद 246ए का तात्पर्य उस स्थिति को मजबूत करता है। यह पहले के करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर, वैट और कई करों के आधार पर अन्य अतिरिक्त और छोटे शुल्कों में प्रतिमान बदलाव लाने के लिए एक व्यवस्था है। घटनाएँ, जिन्हें एक कर योग्य घटना में शामिल किया गया है जिसे "वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति" कहा जाता है। नई व्यवस्था भारत संघ और संबंधित राज्यों दोनों को एक साथ वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने में संयुक्त संघीय भागीदार बनने में सक्षम बनाती है और कर योग्य घटना की घटना पर समान दरें होती हैं। विशेष रूप से, 2017 का अधिनियम सूची I, सूची II या उस मामले के लिए सूची III में किसी भी प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह एक सुई जेनरिस शासन है

अनुच्छेद 279ए के साथ पठित अनुच्छेद 246ए के आधार पर संविधान और उसके तहत कराधान का क्षेत्र वस्तु और सेवाएँ हैं और कर लगाने की शक्ति है -

एक साथ और सह-विस्तारित। 20. भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने हमें शुल्क/करों के भुगतान और आईटीसी की पात्रता और उपयोग सहित आईटीसी का लाभ उठाने के संबंध में 2017 के अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया। आई. टी. सी. की पात्रता और उपयोग के संबंध में, एक वैधानिक [2021] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न शासनों के तहत और वर्तमान में जी. एस. टी. कानून के तहत शासित प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति पर ओ. टी. एल. का भुगतान करने और आई. टी. सी. का लाभ उठाने और उपयोग करने का संबंधित अधिकार निर्धारित किया गया है, जो इसके लिए निर्दिष्ट पात्रता और शर्तों के अधीन है। आई. टी. सी. का दावा करने का अधिकार, एक वैधानिक अधिकार होने के नाते, शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा सीमित है, जिसके अधीन एक पंजीकृत व्यक्ति क्रेडिट लेने का हकदार है। आई. टी. सी. की पात्रता से संबंधित प्रावधान एक पंजीकृत व्यक्ति को ओ. टी. एल. के निर्वहन के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच उनके समझौतों, चालानों और लेखा पुस्तकों के आधार पर लेनदेन के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखे, या तो हाथ से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बनाए गए अभिलेख स्वयं क्रेडिट की पात्रता के बारे में प्रकट करेंगे और इसका लाभ आपूर्तिकर्ता और संबंधित प्राप्तकर्ता के अनन्य क्षेत्र के भीतर है। कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति इसका स्व-मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। लेन-देन करें और ओटीएल का निर्धारण करें और आवश्यक सीमा तक आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करने या नकद द्वारा ओटीएल का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करें। इस संबंध में अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। यह एक विकल्प है जिसका उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है न कि अधिकारियों द्वारा। यह सिद्धांत जी. एस. टी. से पहले और जी. एस. टी. व्यवस्था के बाद भी समान रहा है। वास्तव में, पंजीकृत व्यक्ति को एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल या कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्रदान किया गया है, जो केवल आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, पंजीकृत व्यक्ति और अन्य प्राप्तकर्ताओं सहित सभी पंजीकृत व्यक्तियों को लाने में सक्षम और सहायक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की प्रभावशीलता या ऐसा कहने के लिए कि इसकी खराबी, पंजीकृत व्यक्ति को 2017 अधिनियम की धारा 16 में बताए गए ओटीएल के स्व-मूल्यांकन के प्राथमिक दायित्व से बाहर नहीं निकालती है। के लिए

ऐसा करने के लिए, पंजीकृत व्यक्ति खातों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए बाध्य है।

जैसा कि 2017 के नियमों के अध्याय VII के तहत परिकल्पित है। ओ. टी. एल. के आत्म-मूल्यांकन का आधार सबसे पहले यही होना चाहिए। ऐसे अभिलेखों से प्राप्त तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से एकत्र किए गए आई. टी. सी. का लाभ उठाने के लिए पात्रता के संबंध में प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं या दोनों के लिए जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग करने का इरादा रखते हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त है

कि पंजीकृत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आई. टी. सी. का उपयोग करने या अपने कब्जे में प्राथमिक रिकॉर्ड से एकत्र की गई जानकारी पर रिटर्न दाखिल करते समय अपने ओ. टी. एल. के निर्वहन के लिए नकद भुगतान करने के विकल्प का उपयोग करे।

21. आई. टी. सी. की पात्रता और लाभ वास्तव में भारत संघ की धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

2017 एक्ट करें। यदि पंजीकृत व्यक्ति आई. टी. सी. का लाभ उठाने का इरादा रखता है, तो वह धाराओं में निर्दिष्ट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते से ओ. टी. एल. का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

2 (46) और 2017 अधिनियम की धारा 49 (2)। वह 2017 अधिनियम की धारा 41 और 49 (2) के साथ पठित धारा 16 (2) में निर्दिष्ट शर्तों पर आई. टी. सी. का लाभ उठा सकता है। 2017 अधिनियम की धारा 59 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को 2017 अधिनियम के तहत देय करों का स्वयं आकलन करना और 2017 अधिनियम की धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। 22. यह आग्रह किया जाता है कि 2017 अधिनियम की योजना यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि स्व-मूल्यांकन सहित ओटीएल की पात्रता और भुगतान के तरीके के बारे में निर्णय लेने के मामले में दायित्व का प्रयोग स्वयं पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है और अधिकारियों की उस स्तर पर कोई भूमिका नहीं है। पंजीकृत व्यक्ति कमियों में गलती नहीं पा सकता है।

इस दायित्व से बाहर निकलने के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में। 2017 के अधिनियम के अनुसार जी. एस. टी. व्यवस्था के अस्तित्व में आने से पहले भी उनके द्वारा इसी तरह के दायित्व का निर्वहन किया जाना आवश्यक था।

01.07.2017 . आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड के स्वतः मिलान और स्वतः जनसँख्या के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में प्रदान किए गए कार्य या सुविधाएँ और इसके विपरीत केवल पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सुविधा है। धारा 42 के संदर्भ में प्रदान की गई विशेषताएं

आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. से संबंधित 2017 अधिनियम के 43 और आपूर्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ता के चालानों के मिलान की गतिशील और निर्बाध प्रक्रियाएं हैं।

प्राप्तकर्ता। धारा 42 और 43 के तहत विचार किए गए चालान मिलान तंत्र को फॉर्मों के एक समूह, अर्थात् जी. एस. टी. आर.-1, जी. एस. टी. आर.-1 ए, जी. एस. टी. आर.-2, जी. एस. टी. आर.-2 ए और जी. एस. टी. आर. की शुरुआत से पूरा होने की उम्मीद थी।

3. 2017 के अधिनियम में वर्णित तंत्र के अनुसार, पूरी विनिमय प्रक्रिया प्रत्येक अधिनियम की 11 वीं और 17 वीं के बीच होने का इरादा था।

अगले महीने और एक बार सुलह हो जाने के बाद, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को अगले महीने की 20 तारीख तक फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 में मासिक विवरणी दाखिल करनी थी और अपने ओ. टी. एल. का निर्वहन करना था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रारंभिक पर काबू पाने के लिए

सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की शुरुआत के बाद आने वाली समस्याओं और संबंधित प्रपत्रों की गैर-संचालन क्षमता के कारण, पंजीकृत व्यक्ति को प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना विवरण-पत्र दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक स्टॉप गैप व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, जिसमें स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया और ओ. टी. एल. के भुगतान, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए प्रासंगिक आवश्यक जानकारी शामिल है। हालांकि एक विराम अंतराल व्यवस्था, इसे हमेशा 2017 अधिनियम की धारा 39 के अर्थ के भीतर वापसी के रूप में माना जाता था। उसमें निर्दिष्ट चूक या गलत विवरणों के संबंध में कोई भी सुधार उस महीने या तिमाही में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरणों पर ध्यान दिया गया था। कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने से [2021] 10 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न केवल संबंधितों के लिए असंगति और अनिश्चितता की शुरुआत

पंजीकृत व्यक्ति, लेकिन उसके प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता और अन्य रिकॉर्ड जो सीधे पंजीकृत व्यक्ति से जुड़े नहीं हैं। इसलिए, संबंधित अवधि के प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी. में सुधार/सुधार की अनुमति देना नई व्यवस्था में अनुज्ञेय नहीं है और इस कारण से, धारा 39 (9) में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि इस तरह से दाखिल किए गए विवरण में चूक या गलत विवरणों के बारे में सुधार उस महीने या तिमाही के लिए किया जा सकता है, जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण पाए जाते हैं, न कि संबंधित विवरण में। सुधारों प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-1 और जी. एस. टी. आर.-2 में अनुमत विवरणी अलग-अलग प्रकृति के हैं, जबकि संबंधित अवधि के लिए प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी में दाखिल विवरणी वैसी ही होनी चाहिए जैसी वह है।

23. यह भी आग्रह किया जाता है कि 2017 अधिनियम की धारा 37 और 38 ऐसा करती हैं।

आई. टी. सी. की पात्रता से संबंधित अधिकार का प्रावधान नहीं है। आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. का स्व-मूल्यांकन करने और आई. टी. सी. का उपयोग करके या नकद भुगतान द्वारा स्व-मूल्यांकन ओ. टी. एल. का भुगतान करने की बाध्यता, ओ. टी. एल. के निर्वहन के तरीके को चुनने के लिए विकल्प का उपयोग करने की बात है। इसके अलावा, धारा 37 और 38 के तहत बाहरी आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत व्यक्ति के बीच सुलह की भविष्यवाणी की गई है।

और बाद में प्राप्तकर्ता, ओटीएल और कर्तव्य के स्व-मूल्यांकन के संबंध में पंजीकृत व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करता है।

स्व-मूल्यांकन आई. टी. सी. या नकद भुगतान का उपयोग करके स्व-मूल्यांकन ओ. टी. एल. का भुगतान करने के लिए जिस तरह से वह भुगतान करना चाहता है।

24. यह आग्रह किया जाता है कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जाए

उसकी अपनी इच्छा है और अधिकारियों की कोई चिंता या कोई भूमिका नहीं है

उस स्तर पर खेलते हैं। उच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए आगे बढ़ा है।

9 39. रिटर्न प्रस्तुत करना।

(1) (8) तक।

(9) धारा 37 और 38 के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने पर कर अधिकारियों द्वारा जांच, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन गतिविधि के परिणाम के अलावा उसमें किसी भी चूक या गलत विवरण का पता चलता है, वह उस महीने या तिमाही के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणी में ऐसी चूक या गलत विवरणों को ठीक करेगा, जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण देखे जाते हैं, इस अधिनियम के तहत ब्याज के भुगतान के अधीन:

बशर्ते कि किसी भी चूक या गलत विवरण का ऐसा कोई सुधार नहीं होगा

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर महीने या दूसरी तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि के बाद या प्रासंगिक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के बाद अनुमति दी जाती है।

(जोर दिया गया)

भारत संघ v. भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस तथ्य के कारण कि आम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को प्रारंभिक चरण के दौरान खराब मौसम का सामना करना पड़ा था और वैधानिक प्रपत्रों को चालू नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ता के इस तर्क से प्रभावित था कि उल्लिखित प्रपत्रों की गैर-संचालनशीलता के कारण, रिट याचिकाकर्ता को प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था, विशेष रूप से उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

खाते में आईटीसी राशि के बारे में। यह याचिका रिट याचिकाकर्ता द्वारा आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. के स्व-मूल्यांकन और स्व-मूल्यांकन ओ. टी. एल. का भुगतान करने के कर्तव्य के दायित्व पर विचार करते हुए नहीं ली जा सकती थी। आई. टी. सी. की पात्रता और उसकी पसंद के माध्यम से ओ. टी. एल. का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग करने का अधिकार बाद में आएगा। स्व-मूल्यांकन करने के लिए, पंजीकृत व्यक्ति कानूनी आवश्यकता के अनुसार अपने द्वारा बनाए गए खातों और अभिलेखों से पूरी तरह से सुसज्जित है, जो उसके पूर्ण नियंत्रण और ज्ञान में हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने यह राय देने में स्पष्ट त्रुटि की कि विवादित परिपत्र में निर्दिष्ट शर्त, 2017 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है; जबकि, 2017 अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान इसके विपरीत प्रदान करते हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया कि रिट याचिकाकर्ता ने अपने अनुमान के आधार पर जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए मासिक फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा किया था। रिट याचिकाकर्ता को लेखों और अभिलेखों को बनाए रखने की वैधानिक आवश्यकता के बावजूद इस तरह की याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2017 अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान महीने या तिमाही के लिए रिटर्न में सुधार/सुधार करना।

जिसमें ऐसी चूक या गलत विवरण देखे गए हैं, किसी भी तरह से आई. टी. सी. का लाभ उठाने के अधिकार से वंचित नहीं होता है। यह तथ्य कि प्रत्यर्थी संख्या 1 नकद की वापसी प्राप्त करने के लिए भी पात्र नहीं होगा, पंजीकृत व्यक्ति को प्रविष्टि की अदला-बदली करने की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता है।

प्रासंगिक समय पर प्रपत्रों की गैर-संचालनशीलता के कारण, अराजक स्थिति पैदा हो सकती है और संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर प्रशासन का पतन हो सकता है। 25. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने उन कारणों का समर्थन किया है जैसा कि उच्च न्यायालय ने चुनौती को बरकरार रखने में किया था।

और विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 के पैराग्राफ 4 को इस हद तक पढ़ना कि यह उस अवधि के संबंध में फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी के सुधार को प्रतिबंधित करता है जिसमें त्रुटि हुई थी। इस बात पर जोर दिया जाता है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और [2021] 10 एस. सी. आर. की गैर-संचालन क्षमता को दूर करने के लिए केवल एक स्टॉप गैप व्यवस्था है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रासंगिक प्रविष्टियों और अभिलेखों को स्वतः तैयार करने में सक्षम बनाने वाले संबंधित वैधानिक प्रपत्र। तथ्य यह है कि प्रारंभिक चरणों में प्रचलित परिस्थितियाँ

सामान्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की शुरुआत को अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया है और फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी की शुरुआत उस स्वीकारोक्ति का प्रमाण है। ऐसा करने के बाद, अधिकारियों के लिए यह खुला नहीं था कि वे करदाताओं को उनके बकाया से वंचित करें, विशेष रूप से, उनके रिटर्न को संशोधित करने और आईटीसी का लाभ उठाने का अधिकार। विवादित परिपत्र दिनांक में किया गया प्रावधान 29.12.2017 , विवरणी में सुधार की अनुमति नहीं देना वैचारिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और विधायी इरादे और 2017 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यह करदाता को उसके अधिकार से वंचित करता है

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को जगह पर नहीं रखने में तकनीकी समस्याओं के कारण क्रेडिट का उपयोग करने का वैधानिक अधिकार। प्रत्यर्थी ने महसूस किया कि सितंबर, 2018 में फॉर्म जी. एस. टी. आर. 2 ए के चालू होने के बाद ही उसके बही में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त आई. टी. सी. उपलब्ध है। प्रत्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक ऋण खाते में दिखाए गए आई. टी. सी. का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देने के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी से दोहरा कर एकत्र किया गया और सरकार को अनुचित लाभ हुआ। पंजीकृत व्यक्ति को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में अतिरिक्त आई. टी. सी. का लाभ उठाने की अनुमति देना, करदाता द्वारा लिया गया अनुचित लाभ नहीं माना जा सकता है।

2017 अधिनियम की धारा 39 (9) में सुधार के लिए तंत्र की परिकल्पना की गई है, जो मिलान और सत्यापन के संबंध में धारा 37 और 38 के तहत उठाए जाने वाले कदमों के अधीन है। प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी. में दाखिल की जाने वाली विवरणी में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी और यह केवल एक विराम-अंतराल व्यवस्था थी। क्योंकि धारा 37 और 38 में प्रदत्त तंत्र को लागू नहीं किया गया था। इसलिए, धारा 39 (9) के तहत सुधार से संबंधित प्रावधान का फॉर्म जी. एस. टी. आर. 3 बी में विवरणी दाखिल करने की विराम-अंतराल व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं था, जो प्रासंगिक अवधि (जुलाई से सितंबर 2017) के लिए बहुत कम था।

अतः, भारत संघ बनाम। भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 में निर्दिष्ट शर्तों को सही ठहराने के लिए 2017 अधिनियम की धारा 39 (9) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

मुखरता से।

27. यह आग्रह किया जाता है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी एक संक्षिप्त विवरणी है और इसमें चालान-वार विवरण नहीं है। जिन प्राप्तकर्ता के पास विक्रेता के रिटर्न तक पहुंच नहीं थी, उनके पास ली गई आईटीसी की शुद्धता को सत्यापित करने की कोई सुविधा नहीं थी। प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी एक समेकित विवरणी है जिसमें निर्धारिती अपने कुल ऋण, ओ. टी. एल. आदि को हाथ से दाखिल करता है। अपीलार्थी जी. एस. टी. आर.-2 और जी. एस. टी. आर.-3 प्रपत्रों को लागू करने में सक्षम नहीं

होने की अपनी विफलता का लाभ उस समय नहीं उठा सकता जब अधिनियम के प्रावधान लागू हुए थे। यह अनुचित और असमान है कि विभाग की विफलता से पंजीकृत व्यक्ति को मजबूर करके विभाग को लाभ होना चाहिए

ओटीएल का निर्वहन करना। दूसरी ओर, निर्धारिती को 2015 से ही यह समझने के लिए कहा गया था कि रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली जी. एस. टी. के तहत स्वचालित होगी। इन घोषणाओं के आधार पर पूरे उद्योग और व्यापार ने तदनुसार प्रणाली परिवर्तनों पर विचार किया, अर्थात प्रतिफल।

क्रेडिट दाखिल करना और लेना/उपयोग करना स्वतः-आबाद रिटर्न के आधार पर होगा। विशेष रूप से, जीएसटी के कार्यान्वयन से तीन दिन पहले, भले ही धारा 37,38,39,42 और 43 को अधिसूचित किया गया था और लागू किया गया था, अपीलार्थी ने अधिसूचना संख्या 10/2017-केंद्रीय कर दिनांक 28.06.2017 जारी की जिसमें कहा गया था कि स्वचालित प्रणाली को लागू नहीं किया जाएगा और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में धारा 61 (5) के तहत एक संक्षिप्त मैनुअल रिटर्न, जो फॉर्म जीएसटीआर-3 के बदले में है, दाखिल करना होगा। प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 में निर्दिष्ट मापदंडों को प्रपत्र जी. एस. टी. आर. 3बी में प्रतिस्थापित किया गया था। इस व्यवस्था को जल्द ही अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर दिनांक 27.07.2017 जारी करके बदल दिया गया, जिससे नियम 61 (5) में 01.07.2017 से प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी संशोधन किया गया, "के बदले में" शब्दों को हटा दिया गया और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी को केवल उस अवधि तक पेश किया गया था जब तक कि धारा 37 और 38 लागू नहीं थीं। इसके अलावा, प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3बी केवल एक विराम-अंतराल व्यवस्था थी और प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 दाखिल करने के दौरान, 2017 अधिनियम की धारा 37 और 38 के तहत विचार की गई स्वीकृति/अस्वीकृति के बाद पूर्ववर्ती कर अवधि का प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 स्वचालित रूप से उत्पन्न और भरा जाएगा। अक्टूबर में

2019 , नियम 61 (5) में संशोधन करके पूर्वव्यापी रूप से दाखिल किए गए रिटर्न फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी. को अंतिम रिटर्न बनाकर, धारा 37 से 39 के तहत विचार की गई स्वचालित प्रणाली को औपचारिक रूप से वैधानिक अधिदेश के तहत समाप्त कर दिया गया था।

28. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, सितंबर, 2018 में जी. एस. टी. आर.-2ए के संचालन के बाद ही जुलाई से सितंबर [2021] 10 एस. सी. आर. के लिए डेटा पूरा किया जाता है।

2017 यह उसके लिए उपलब्ध हो गया और जिसके आधार पर वह उस अवधि के लिए दाखिल किए गए विवरणी को संशोधित करना चाहता था। ऐसा सर्कुलर नंबर 7/7/2017 दिनांकित 01.09.2017 के संदर्भ में करना संभव था, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में दिए गए विवरणों को फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 के आधार पर सही किया जाएगा और यह स्वचालित होगा

और उस विशेष महीने में फॉर्म जीएसटीआर-3 में प्रतिबिंबित होगा। हालाँकि, विवादित परिपत्र संख्या 26/26/2017-जी. एस. टी. दिनांक 29.12.2017 को लागू करके इसे समाप्त कर दिया गया। विवादित परिपत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था इसके खिलाफ थी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की भावना। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष को उचित रूप से दर्ज किया। यह आग्रह किया जाता है कि जिस महीने त्रुटियां पाई जाती हैं, उस महीने के लिए सुधार/समायोजन तंत्र 2017 अधिनियम की योजना के विपरीत है और आई. टी. सी. का लाभ नहीं उठाने के लिए एक बंधन लगाकर निर्धारिती के वैधानिक अधिकार को विफल कर देगा, हालांकि यह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध है। उच्च न्यायालय ने विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 के पैराग्राफ 4 को सही पढ़ा और प्रतिवादी को उस अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी को सुधारने की अनुमति देने का निर्देश भी जारी किया, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन जुलाई से सितंबर 2017 तक त्रुटि से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से एक न्यायसंगत व्यवस्था थी और अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं थी। इस दिशा में

यह प्रत्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही के अपने खाते में दिखाए गए अधिशेष से आई. टी. सी. का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा और नकद में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को तदनुसार प्रत्यर्थी के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में बहाल किया जाएगा, जो कि Rs.923 करोड़ है। वास्तव में, विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि यह मनमाने ढंग से वैधानिक ढांचे को बदल देता है। यह भी असंगत है

29. हमने अपीलार्थी की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे और श्री तरुण गुलाटी को सुना है। 30. प्रारम्भ में, रिट याचिका पर विचार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रारंभिक मुद्दा या यह कि रिट याचिका आवश्यक पक्षों के गैर-सहयोगी के दोष से ग्रस्त है, जिसमें यह भी शामिल है कि उच्च न्यायालय भारत का संघ v जारी नहीं कर सकता था।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

परमादेश का आदेश, हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। अपीलार्थी (रिट याचिका में प्रतिवादी) का कार्यालय भी दिल्ली में है। अन्य के अलावा रिट याचिका में दावा की गई राहत को चुनौती देना था केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान और दिल्ली में अपना कार्यालय रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए परिपत्र। अतः दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी संदेह का विषय नहीं हो सकता है। इसी तरह, अपीलार्थी का यह तर्क कि राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक पक्ष हैं, मामले को आगे नहीं ले जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिट याचिकाकर्ता राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की व्यक्तिगत कार्रवाई को चुनौती नहीं दे रहा था, बल्कि केंद्रीय प्राधिकरण के एक नीतिगत निर्णय को चुनौती दे रहा था, जिसने विवादित परिपत्र, अर्थात् आयुक्त (जी. एस. टी.)

जारी किया था। यदि रिट याचिकाकर्ता उस चुनौती में सफल हो जाता है, तो परिणामी राहत मिलेगी। हमारी राय में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का पक्ष न लेना रिट याचिकाकर्ता के विषय रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए कारण को आगे बढ़ाने के रास्ते में नहीं आएगा। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पत्र जारी करने में अधिकार क्षेत्र को पार करने के बारे में तर्क भी हमें स्वीकार्य नहीं है। यदि विवादित परिपत्र की प्रभावकारिता के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष को बरकरार रखा जाना था, तो ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए विवादित निर्णय के पैराग्राफ 24 में उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। तदनुसार, रिट याचिका की स्थिरता और दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां खारिज किए जाने के योग्य हैं।

31. एक अन्य मुद्दा जिसे सीमा पर तय करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या 29.12.2017 दिनांकित आक्षेपित परिपत्र द्वारा जारी किया गया है

संरचनाएँ। बोर्ड द्वारा विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया था रिटर्न दाखिल करने की तारीखें, विलंब शुल्क की मात्रा लागू होना, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी जमा करने/दाखिल करने में त्रुटियों का संशोधन और अन्य संबंधित प्रश्न। सटीक अर्थों में, यह आयुक्त (जी. एस. टी.) द्वारा जारी निर्देश नहीं है, बल्कि यह 2017 अधिनियम की धारा 168 (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के निर्णयों को अधिसूचित कर रहा है। यह एक अलग मामला है कि आयुक्त (जीएसटी) के हस्ताक्षर के तहत एक परिपत्र जारी किया जाता है, लेकिन संक्षेप में, यह [2021] 10 एस. सी. आर. को अधिसूचित कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29.12.2017 कानून के अधिकार के बिना जारी किया गया है, इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है। 32. उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मुद्दों और दलीलों के विश्लेषण पर लौटते हुए, यह मुख्य रूप से रिट की शिकायत पर केंद्रित है।

संबंधित अवधि के लिए आई. टी. सी. का लाभ उठाना और इसके बजाय अपने विक्रेताओं को नकद भुगतान करके ओ. टी. एल. का भुगतान करना। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप दोहरे कर का भुगतान किया गया है और कर अधिकारियों को अनुचित लाभ हुआ है क्योंकि वे प्राप्तकर्ता और बाहरी आपूर्ति के स्वतः जनसँख्या विवरण को सक्षम करने वाले वैधानिक प्रपत्रों को संचालित करने में विफल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से विसंगतियों को मिलान और सुधारने की सुविधा शामिल है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस मुख्य प्रश्न की जांच नहीं की कि क्या रिट याचिकाकर्ता को जुलाई और सितंबर 2017 के बीच प्रासंगिक अवधि के लिए ओटीएल का भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान्य मंच में स्वतः उत्पन्न जानकारी पर पूरी तरह से या पूरी तरह से निर्भर होना

आवश्यक था। इसका उत्तर है-एक जोरदार नहीं। इसमें, रिट याचिकाकर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति होने के नाते, के प्रावधानों के अनुसार लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत था 2017 2017 के नियमों का अधिनियम और अध्याय VII उन लेन-देनों के संबंध में है जिनके संबंध में ओटीएल होगा। अतीत में भी (हाल ही में 2017 अधिनियम लागू होने तक), पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था के दौरान, रिट याचिकाकर्ता (पंजीकृत व्यक्ति/निर्धारिती होने के नाते) इस तरह की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों का रखरखाव कर रहा था और अपने दम पर विवरणी जमा कर रहा था। इस तरह का कोई स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रचलन में नहीं था। यह वही पैटर्न है जिसका पालन पंजीकृत व्यक्ति को पोस्ट में करना पड़ता था-जीएसटी।

शासन।

33. 2017 अधिनियम की योजना के अनुसार, यह देखा गया है कि पंजीकृत

व्यक्ति आई. टी. सी. का स्व-मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है, आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. के लिए इसकी पात्रता की गणना करता है, जिसमें मुख्य रूप से अपने कार्यालय के रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों के आधार पर नकद या क्रेडिट खाते में रखी शेष राशि भी शामिल है।

समय-समय पर वैधानिक रूप से संरक्षित और अद्यतन किया जाना आवश्यक है। वह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के बिना भी कर सकते थे जैसा कि अतीत में हाल ही में पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था तक किया जा रहा था। जहां तक ओटीएल का भुगतान करने की देयता का संबंध है, वह संबंधित अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के आधार पर है जो कर योग्य घटना को जन्म देता है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य हो जाती है जिसके संबंध में पंजीकृत व्यक्ति भारत संघ के लिए बाध्य है।

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

समझौते, चालानों/चालानों और लेखा पुस्तकों को बनाए रखें, जिन्हें हाथ से/इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जा सकता है। सामान्य पोर्टल ऐसी जानकारी प्रदान करने या पुनः प्राप्त करने के लिए केवल एक सुविधा प्रदाता है और आत्म-मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक स्रोत होने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक स्रोत समझौतों, चालानों/चालानों, वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्तियों और लेखा पुस्तकों के रूप में होता है जिन्हें निर्धारिती द्वारा हाथ से/इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाता है। ये कर अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं हैं। संबंधित विधानों के तहत दायित्व का निर्वहन करते हुए पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था में भी यह व्यवस्था थी। जी. एस. टी. के बाद की व्यवस्था में स्थिति अलग नहीं है, दोनों स्वयं करने के मामले में।

मूल्यांकन और आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. की पात्रता से निपटने के संबंध में। वास्तव में, वह स्व-मूल्यांकन और घोषणाएं किसी भी तरह से कर अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगी। कर अधिकारियों की भूमिका पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत/दाखिल की गई घोषणाओं और विवरणियों के सत्यापन के समय आएगी।

34. 2017 अधिनियम की धारा 16 पंजीकृत लोगों की पात्रता से संबंधित है।

व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर का श्रेय लेने के लिए जो उसके व्यवसाय के पाठ्यक्रम या आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा रखता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में अतिरिक्त रूप से दर्ज किया जाता है। "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता" को धारा 2 (46) में परिभाषित किया गया है और इसे 2017 अधिनियम की धारा 49 (2) में संदर्भित किया गया है, जिसमें आईटीसी का लाभ उठाने के तरीके का प्रावधान है। धारा 41 (1) में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपने विवरणी में स्व-मूल्यांकन के रूप में योग्य निवेश कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और ऐसी राशि अस्थायी आधार पर जमा की जाएगी - उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता।

35. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्येक निर्धारिती धारा 16 (1) और 16 (2) के तहत पात्र आई. टी. सी. का स्व-मूल्यांकन करने और 2017 अधिनियम की धारा 49 (2) के साथ पठित धारा 2 (46) में परिभाषित "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में उसी को जमा करने" के लिए बाध्य है। इसके बाद ही धारा 59 लागू होती है, जिसके तहत पंजीकृत व्यक्ति अधिनियम के तहत देय करों का स्व-आकलन करने और अधिनियम की धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, धारा 59 के तहत विवरणी जमा करने के लिए, यह पंजीकृत व्यक्ति है जिसे हाथ से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रासंगिक अवधि के लिए लेखा पुस्तकों को बनाए रखने सहित आवश्यक उपाय करने होते हैं। ऐसी प्राथमिक सामग्री के आधार पर, निर्धारिती द्वारा आई. टी. सी. और ओ. टी. एल. की पात्रता और लाभ के बारे में स्व-मूल्यांकन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, जो अधिनियम की धारा 59 के तहत दाखिल की जाने वाली आवधिक विवरणी में परिलक्षित होता है।

36. धारा 59 धारा 39 का संदर्भ देती है, जो विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित है, लेकिन तथ्य यह है कि

विवरणी, प्रारंभिक कार्य स्वयं निर्धारिती द्वारा किया जाना है और इसके लिए पूरी तरह से या पूरी तरह से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर निर्भर नहीं है।

उद्देश्य। जुलाई और सितंबर 2017 के बीच प्रासंगिक अवधि से कुछ हफ्ते पहले, रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 वह अभ्यास कर रहा था जो पद के तहत भी जारी रहने की उम्मीद थी जीएसटी योजना। इसलिए, प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2ए की अप्रचलितता का तथ्य रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ली गई तुच्छ याचिका है। वास्तव में, यदि कहा गया प्रपत्र चालू

था, तो यह रिट याचिकाकर्ता के लिए आई. टी. सी. की पात्रता के बारे में स्व-मूल्यांकन करने और उसका लाभ उठाने के लिए उपयोगी होता। लेकिन यह रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रिटर्न के सुधार के संबंध में विवादित परिपत्र दिनांक 29.12.2017 में निर्दिष्ट शर्त पर हमला करने के लिए दिया गया एक कमजोर बहाना है।

संबंधित अवधि (जुलाई से सितंबर 2017) के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में हाथ से जमा करें।

37. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 4 को पढ़ने का सवाल तभी पैदा होता जब यह 2017 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के स्पष्ट प्रावधान के साथ टकराव में होता। धारा 39 (9) के रूप में स्पष्ट प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में विवरणी में दी गई चूक या गलत विवरणों को उस महीने या तिमाही में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणी में ठीक किया जा सकता है जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण देखे जाते हैं। यह बहुत विवादित परिपत्र में स्थिति को फिर से निर्धारित किया गया है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 39 (9) में निर्दिष्ट वैधानिक व्यवस्था के विपरीत नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो उस अवधि में वापसी के इस तरह के सुधार को प्रतिबंधित करता है जिसमें त्रुटि देखी जाती है। इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा यह नोट किया जाता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में दिखाए गए अधिशेष या अतिरिक्त आई. टी. सी. की वापसी प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए, एकमात्र उपाय जो रिट याचिकाकर्ता को आई. टी. सी. के निर्बाध उपयोग का लाभ उठाने में सक्षम बना सकता है, वह है संबंधित अवधि के लिए अपने वार्षिक कर विवरणी (फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी) में सुधार करना। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 23 में कहा कि उसके समक्ष मामले में मांगी गई राहत अपरिहार्य थी। यह तर्क हमारी सराहना नहीं करता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक में अधिशेष या अतिरिक्त आई. टी. सी. के रिफंड के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

क्रेडिट खाता बही, यह नहीं है कि संबंधित निर्धारिती जिसने नकद भुगतान करके ओटीएल का भुगतान किया है (जिसे वह अधिशेष या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही खाते के बावजूद नकद में भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है), बाद में यूनियन ऑफ इंडिया v.

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रविष्टियों की अदला-बदली के लिए कहें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में संबंधित ओटीएल राशि दिखाई जा सके जहाँ से वह धनवापसी ले सकता है। ओ. टी. एल. के भुगतान के लिए नकद या आई. टी. सी. का लाभ उठाना एक विकल्प है, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा किया गया है, जब तक कि अधिनियम और नियम इस तरह के प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं देते हैं या

प्रविष्टियों की अदला-बदली। वास्तव में, धारा 39 (9) महीने के लिए रिटर्न में त्रुटि को ठीक करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रदान करती है या तिमाही जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण देखे गए हैं।

38. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत की पूरी इमारत

(प्रत्यर्थी संख्या 1) की स्थापना प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-2 ए की गैर-संचालनशीलता पर की गई थी, जिसे याचिका को असमर्थनीय और कमजोर के रूप में खारिज कर दिया गया था, इसका पालन करना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी लेखा पुस्तकों और अभिलेखों से प्राप्त पूर्ण ज्ञान और जानकारी के साथ, स्व-मूल्यांकन किया था और प्रासंगिक अवधि के लिए ओ. टी. एल. का मूल्यांकन किया था और नकद भुगतान करके इसका निर्वहन करने का विकल्प चुना था। ऐसा चुनने के बाद, यह प्रतिवादी के लिए पहले से प्रयोग किए गए कानूनी विकल्प से अब वापस लेने के लिए खुला नहीं है। यही कारण है कि प्रत्यर्थी ने सलाह दी है कि

एक सिद्धांत कि धारा 37 और 38 के अनुसार उपलब्ध कराए गए (इलेक्ट्रॉनिक-ऑटो पॉपुलेटेड रिकॉर्ड) तंत्र के अभाव में, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में दाखिल विवरणी 2017 अधिनियम की धारा 39 (9) के लिए 2017 नियमों के नियम 61 (5) के साथ पठनीय नहीं है। यह प्रतिवादी द्वारा ली गई एक और असमर्थनीय याचिका है।

इस तरह के तंत्र को नियंत्रित करने वाले प्रपत्रों की संचालन क्षमता में संशोधन करना था जब तक पूरा तंत्र चालू नहीं हो जाता, तब तक एक विराम-अंतराल व्यवस्था करने के लिए नियम। अपीलार्थी ने न केवल वैधानिक नियम में संशोधन किया बल्कि

जुलाई 2017 से सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में मैन्युअल रूप से रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान। यह समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों/अधिसूचनाओं से प्रकट होता है, जिसमें विवरणी जमा करने की समय-सीमा भी शामिल है।

39. यह आग्रह करना व्यर्थ है कि धारा 39 (9) वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होती है। इसमें, रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाती है प्रपत्र-जी. एस. टी. आर.-3 बी, हालांकि एक विराम अंतराल व्यवस्था है, 2017 के नियमों के नियम 61 के साथ पठित 2017 अधिनियम की धारा 39 के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में, यह नियम 61 के लिए संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 के लिए निर्दिष्ट तंत्र के साथ तुलनीय नहीं है। फिर भी, प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3 बी. को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले "विवरणी" के रूप में निर्धारित किया गया है और नियम 61 (5) के बाद के संशोधन द्वारा प्रभावी [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. डी. 1 से, यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को बाद में फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 में विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से, उस संशोधन की वैधता, जिसमें दिनांक 09.10.2019 वाली अधिसूचना संख्या 49/2019 शामिल है, हमारे सामने जारी नहीं की गई है।

40. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक चरणों में, यह अधिसूचित किया गया था कि फॉर्म जी. एस. टी. आर. 3बी, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 के बदले में होगा, लेकिन उस अभिव्यक्ति को हटाकर जल्द ही इसे ठीक कर दिया गया था। साथ ही, धारा 37 और 38 के संदर्भ में विवरणी प्रस्तुत करने का तंत्र प्रासंगिक अवधि (जुलाई से सितंबर 2017) के दौरान चालू नहीं किया गया था और बाद में ही चालू हो गया था, फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी की प्रभावशीलता रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए एक स्टॉप गैप व्यवस्था है, जैसा कि नियम 61 के साथ पठित धारा 39 के तहत आवश्यक था, किसी भी तरह से कम नहीं होगा। इसे अभी भी सभी उद्देश्यों के लिए एक वापसी के रूप में माना जाएगा, हालांकि इसे हाथ से भरा जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से।

41. एएपी एंड कंपनी के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय, अधिकृत भागीदार बनाम भारत संघ के माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट

इस सवाल पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में विवरणी 2017 अधिनियम की धारा 39 के तहत दाखिल करने के लिए आवश्यक विवरणी है। हालाँकि, शुरुआत में इसने नोट किया कि संबंधित रिट याचिका को निष्फल बना दिया गया था, लेकिन उसमें उठाए गए प्रश्न का उत्तर दिया। इसने यह विचार रखा कि फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी रिटर्न फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 दाखिल करने की नियत तारीख तक केवल एक अस्थायी विराम-अंतराल व्यवस्था थी।

अधिसूचित किया। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। हमारा दृष्टिकोण मजबूत हुआ है

नियम 61 (5) में बाद के संशोधन द्वारा, इस स्थिति को दोहराते हुए और स्पष्ट करते हुए कि जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में विवरणी प्रस्तुत की गई है, उसे फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 में विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संशोधन को अधिसूचित किया गया था और पूर्वव्यापी रूप से 01.07.2017[11] से प्रभावी हुआ था। इस संशोधन की वैधता को मुद्दा नहीं बनाया गया है।

42. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया है।

पांडुरंग स्टोन क्रशर्स बनाम भारत संघ & Ors.[12] यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए जुलाई 2017 और मार्च 2018 के बीच की अवधि से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने आवश्यकतानुसार जीएसटी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा किया था। ऐसा करते हुए उन्होंने

10 2019 - टीआईओएल-1422-एचसी-एएचएम-जीएसटी 1 अधिसूचना/जी. एस. आर. सं. 772 (ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 12 2019-टी. आई. ओ. एल.-1975-एच. सी.-ए. पी.-जी. एस. टी. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

अनजाने में और गलती से उस विशेष राशि, अर्थात् आई. जी. एस. टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट को अन्य सभी आई. टी. सी. कॉलम में रखने के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के आयात से संबंधित कॉलम में आई. जी. एस. टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी। रिट याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि वह ऐसी गलती को सुधारने का हकदार है जो फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी रिटर्न में आई थी। भारत संघ ने तर्क दिया था कि उक्त स्थिति 2017 अधिनियम की धारा 39 (9) द्वारा कवर की गई थी और याचिकाकर्ता चूक को सुधार सकता था, लेकिन रिटर्न को सुधारने या संशोधित करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया। इसलिए, वह राहत के हकदार नहीं थे जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आप और Co.[13] 13 में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले और साजी एस. प्रोपराइटर, आदित्य और अंबादी ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

एन. आर. बनाम। आयुक्त, राज्य जी. एस. टी. विभाग और Anr.[14], जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने कर देयता को शीर्ष "एस. जी. एस. टी". से "आई. जी. एस. टी". में स्थानांतरित करने के अनुरोध की अनुमति दी थी, जिससे पंजीकृत व्यक्ति सक्षम हो सके।

सुधार करने के लिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसी मुकदमे का पालन करने की अनुमति दी। इन निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण, हालांकि इस न्यायालय के समक्ष लागू नहीं किया गया है, इस मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के आधार पर इस निर्णय में हमारे लिए अनुशंसित तर्क को प्रभावित नहीं कर सकता है।

43. वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तब एडफर्ट के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. लिमिटेड बनाम। भारत संघ और Ors.[15] उस मामले में,

याचिकाकर्ता लेखाकारों पर भारी बोझ, जिनके पास आकलनकर्ताओं की संख्या थी, कंप्यूटर प्रणाली की उचित जानकारी की कमी, TRAN-1 के विभिन्न स्तंभों को भरने में जटिलता आदि के कारण विस्तारित समय होने से पहले 31.12.2017 रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि जी. एस. टी. एक इलेक्ट्रॉनिक आधारित कर व्यवस्था थी और भारत के अधिकांश लोग इलेक्ट्रॉनिक तंत्र से परिचित नहीं थे और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरल प्रपत्रों को लोड करने में सक्षम नहीं थे। यह ध्यान दिया जाए कि पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थता का तथ्य निर्धारिती द्वारा ओटीएल के लिए स्वेच्छा से नकद में भुगतान की गई राशि के समायोजन को मंजूरी देने के दावे से पूरी तरह से अलग है। उत्तरार्द्ध की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब संसद द्वारा अधिनियमित कानून इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही और इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही की प्रविष्टियों की इस तरह की अदला-बदली की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है और निश्चित रूप से 2017 अधिनियम की धारा 39 (9) के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। इस पर भरोसा करें

13 डब्ल्यू. पी. में फुटनोट संख्या 10 1 4 दिनांक 12.11.2018 पर ऊपर दिया गया है। (ग) सं. 35868/2018 15 2019-टीआईओएल-2519-एचसी-पी एंड एच-जी. एस. टी. [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय। हालांकि, नोडल अधिकारी ने कहा कि मौजूदा अधिनियमों के तहत भुगतान किए गए कर/शुल्क के क्रेडिट से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300ए का उल्लंघन होगा। इसने नोट किया कि अप्रयुक्त ऋण को संविधान के अनुच्छेद 300ए के संदर्भ में निहित अधिकार और संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। यह निर्णय उस मामले के तथ्यों पर था

प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3बी. में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि और ओ. टी. एल. के भुगतान के तरीके को नकद में बदलने के लिए दावा किए गए अधिकार के बारे में नहीं, जैसा कि वर्तमान मामले में पहले की अवधि के लिए प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-3बी. में दाखिल विवरणी में सुधार की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही के खिलाफ समायोजित किया जाना है।

44. इसके बाद एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया। आयुक्त (आकलन), बिक्री कर और Ors.[1]7, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा एक निश्चित तरीके से व्यवहार किए जाने की वैध अपेक्षा हो सकती है, भले ही उसे निजी कानून में ऐसा व्यवहार प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार न हो। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कृष ऑथोमोटर प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। लिमिटेड बनाम। भारत संघ और Ors.[1], जिसने रिट याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल खोलकर या उक्त फॉर्म को निविदा देकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से TRAN-I फॉर्म जमा करने की अनुमति दी थी

जो ऐसी चूक या गलत विवरणों पर ध्यान दिया जाता है और उस अवधि के लिए वापसी में नहीं है जिससे यह संबंधित है। 45. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में ब्लू बर्ड प्योर प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों को भी स्वीकार किया है। लिमिटेड बनाम।

भारत संघ & Ors.[1] और लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम.

16 2019 - टीआईओएल-2068-एच. सी.-ए. एच. एम.-जी. एस. टी. 17 1 7 (2006) 8 एस. सी. सी. 702 18 2019 - टीआईओएल-2153-एचसी-डेल-जी. एस. टी. 19 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9250 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम.

भारती एयरटेल लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार & Ors.20 के लिए समान कारणों से, उक्त दो निर्णयों में जो निष्कर्ष निकला है, वह होगा

प्रत्यर्थी सं. 1 को कोई लाभ नहीं।

46. हमें संबंधित निर्णयों में संदर्भित अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे सामने उद्धृत किया गया है, जैसा कि हमारी राय में, इन निर्णयों में है

पंजीकृत व्यक्ति पर लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए वैधानिक दायित्व के प्रमुख पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मैन्युअल रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी में मूल्यांकन। 2017 अधिनियम की धारा 39 (9) और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 61 में निहित प्रावधान, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3बी. में दाखिल किए गए विवरणी पर पूरी ताकत के साथ लागू होता है। 47. महत्वपूर्ण रूप से, पंजीकृत व्यक्ति को चूक या गलत विवरणों को सुधारने के अवसर से वंचित नहीं किया जाता है, जो वह उस महीने या तिमाही के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न में कर सकता है जिसमें ऐसी चूक या गलत विवरण पाए जाते हैं। इस प्रकार, यह आई. टी. सी. का लाभ लेने से इनकार करने का मामला नहीं है। यदि बिल्कुल भी, तो यह केवल एक स्थगन है

आई. टी. सी. का लाभ उठाना। आई. टी. सी. राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में बरकरार रहती है, जिसका लाभ अगले वित्तीय वर्ष सहित बाद के रिटर्न में लिया जा सकता है। यह एक अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में धन की उपलब्धता के बावजूद, पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने का विकल्प चुनता है

नकद भुगतान करके ओटीएल। यह पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प का विषय है, जिस पर कर अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं है, न ही इस संबंध में उनकी कोई भूमिका है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक नकदी में प्रविष्टियों की अदला-बदली की अनुमति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। खाता बही बनाम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही या इसके विपरीत।

48. एक प्राथमिकता, नियम 61 के साथ पठित धारा 39 (9) द्वारा प्रदान किए गए इस तरह के एक स्पष्ट तंत्र के बावजूद, उच्च न्यायालय के लिए इस धारणा पर आगे बढ़ने के लिए खुला नहीं था कि एकमात्र उपाय जो सक्षम कर सकता है 20 डब्ल्यू. पी. में 13.9.2019 पर निर्णय लिया। (ग) सं. 3309/2019 [2021] 10 एस. सी. आर.

निर्धारिती को इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध उपयोग का लाभ उस प्रासंगिक अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर. 3 बी में जमा किए गए अपने रिटर्न में सुधार के माध्यम से प्राप्त होता है जिसमें त्रुटि हुई थी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस तरह के रिटर्न में किसी भी एकतरफा बदलाव का संबंधित लेनदेन से जुड़े प्राप्तकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण अनिश्चितता होगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए स्व-मूल्यांकन विवरणी को कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। हम अपीलार्थी के इस कथन से सहमत हैं कि वैधानिक अधिदेश के विपरीत दिखाई गई कोई भी संलिप्तता न केवल एक अवैधता होगी, बल्कि वास्तव में, केवल अराजक स्थिति और केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर प्रशासन के पतन का कारण बनेगी। नतीजतन, निर्धारिती को एकतरफा रूप से फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए अपने रिटर्न में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अन्य हितधारकों के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में व्यापक प्रभाव पड़ता है।

49. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मिलान और सुधार प्रक्रिया होती है।

धारा 37 और 38 में निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार, जिसके बाद रिटर्न जमा करने के उद्देश्यों के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 तैयार किया जाता है और एक बार जमा करने के बाद, उसमें किसी भी परिवर्तन का व्यापक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, कानून केवल प्रपत्र जी. एस. टी. आर.-1 और जी. एस. टी. आर.-3 के प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों और चूक को सुधारने की अनुमति देता है, लेकिन निर्दिष्ट तरीके से। यह पूर्व-जी. एस. टी. अवधि की तुलना में एक अलग व्यवस्था है, जिसमें स्वतः दर्ज अभिलेखों और प्रविष्टियों का प्रावधान नहीं था।

50. यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि विवादित लोगों के लिए चुनौती

परिपत्र संख्या 26/26/2017-जी. एस. टी. दिनांक 29.12.2017, अब तक उल्लिखित कारणों के लिए अस्थिर है। हम मानते हैं कि उल्लिखित परिपत्र में पैराग्राफ 4 सहित शर्तें 2017 के अधिनियमों और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। यह कहने के बाद, इसका पालन करना चाहिए कि विवादित परिपत्र के पैराग्राफ 4 को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से किया है। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश अनिवार्य रिट जारी करने की प्रकृति का है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी में सुधार करने की अनुमति दी गई है।

51. उच्च न्यायालय द्वारा कथित परिपत्र को पढ़ने के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है, जो उपरोक्त रूप से पूरी तरह से है।

अनावश्यक है।

52. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील की अनुमति है। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, रिट याचिका दायर की गई

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 खारिज हो जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

अपील की अनुमति दें

अंकित ज्ञान